कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर एस.बी.सिविल याचिका संख्या 13360/2017 श्री राजीव तिवारी बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.08.2017 में जोधपुर पीठ द्वारा पूर्व में पारित निर्णीत प्रकरण याचिका संख्या 1925/2017 कुलदीप कुमार शर्मा बनाम राज्य सरकार एवं याचिका संख्या 280/2017 बेगराज बनाम राज्य के निर्णय में प्रदत्त निर्देशों का हवाला देते हुए प्रार्थी को अप्रार्थीगण के समक्ष उक्त निर्णयों की प्रति सहित अभ्यावेदन पेश करने तथा अभ्यावेदन पेश किये जाने पर प्रार्थी का प्रकरण उपर्युक्त अनुसार वर्णित बेगराज के निर्णय से कवर्ड पाये जाने पर प्रार्थी को उस अनुसार लाभ देने के निर्देश दिए गए।

प्रार्थी द्वारा अपने अभ्यावेदन में अपने पिता के गले में कैंसर होने के कारण बोलने में अक्षम होने, उनके हृदय की बायपास सर्जरी के कारण नियमित देखभाल की आवश्यकता होने व पत्नि के राजकीय सेवा में होने से उत्पन्न विकट पारिवारिक परिस्थितियों के कारण तथा प्रार्थी द्वारा गृह जिले से बाहर के सेवाकाल को मध्यनजर रखते हुए अपना पदस्थापन अपने गृह जिले अलवर में करने की प्रार्थना की गई।

याचिकार्थी द्वारा अलवर जिले में राउमावि–बालेटा, उमरैण, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वितीय, अलवर, राउमावि बसई जोगियान–थानागाजी, राउमावि मुण्डनवाडा कलां–मुण्डावर, राउमावि जाट बहरोड–मुण्डावर अथवा राउमावि सिरमोली–किशनगढबास अलवर में से प्रधानाचार्य के किसी एक रिक्त पद पर पदस्थापित करने की परिवेदना की गई।

याचिकार्थी की मांग पर विचार किया गया एवं माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार माननीय जोधपुर पीठ द्वारा पूर्व निर्णीत प्रकरण याचिका संख्या 1925/2017 कुलदीप कुमार शर्मा बनाम राज्य एवं याचिका संख्या 280/2017 बेगराज बनाम राज्य में माननीय न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया गया। जहां तक इन प्रकरणों में माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्बन्ध है तो वह तृतीय श्रेणी शिक्षक के समायोजन हेतु आयोजित काउन्सलिंग तदुपरांत पदस्थापन के सम्बन्ध था। उसमें माननीय न्यायालय द्वारा श्रेणीवार निर्देश जारी कर अभ्यावेदन निस्तारण के निर्देश ही प्रदान किये गए थे।

याचिकार्थी द्वारा चाहे गए अलवर जिले के उपर्युक्त स्थानों में प्रधानाचार्य राउमावि एवं समकक्ष का कोई भी पद रिक्त नहीं है। याचिकार्थी का पदस्थापन जरिए काउन्सलिंग उनके सहमति पत्र के आधार पर ही किया गया था। याचिकार्थी द्वारा धारित प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष का पद राज्य शिक्षा सेवा का पद है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय जगमोहन बनाम सरकार प्रकरण के अनुसार राज्य शिक्षा सेवा के राजपत्रित स्तर का पद धारित कार्मिक का पदस्थापन राज्य एवं लोकहित में कहीं पर भी किया जा सकता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। तदनुसार याचिकार्थी **श्री राजीव तिवारी प्रधानाचार्य राउमावि कालिंजर–कुम्भलगढ, राजसमन्द की गृह जिले में पदस्थापन सम्बन्धी मांग एतद् द्वारा खारिज की जाकर अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।** सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/राजीव तिवारी/याचिका–13360/2017 दिनांकः 09.3.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा उदयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा राजसमन्द।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित संस्था प्रधान।
8. सम्बन्धित कार्मिक/याचिकार्थी।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वर्ष 2017–18 के प्रधानाचार्य राउमावि एवं समकक्ष पदों के विरूद्ध चयनित कार्मिकों का पदस्थापन इस कार्यालय के आदेश कमांकः–शिविरा/ मा/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/डीपीसी–17–18/2017/ दिनांक 15.07.2017 द्वारा किया गया। उक्त आदेश में कम सं 331, वरिष्ठता कमांक 666 श्री विनोद गोदारा, प्र.अ. रामावि चनाना छोटा–चुरू को पदौन्नति उपरान्त जरिए काउन्सलिंग उनके सहमति पत्र के आधार पर राउमावि सउओं की ढाणी–गीडा बाडमेर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर पदस्थापित किया गया।

उक्त पदौन्नत कार्मिक द्वारा अपनी विकट पारिवारिक परिस्थिति के मध्यनजर अपने पदस्थापन स्थान में संशोधन हेतु की गई परिवेदना पर किसी प्रकार की कार्यवाही न होने के चलते माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 22471/2017 विनोद गोदारा बनाम राजस्थान सरकार दायर की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.12.17 द्वारा प्रार्थी को समुचित प्राधिकारी के समक्ष अपनी पीडा व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश करने एवं समुचित प्राधिकारी द्वारा उक्त अभ्यावेदन का सकारण आख्यात्मक आदेश पारित करते हुए 8 सप्ताह में निस्तारण करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

याचिकार्थी द्वारा अपने अभ्यावेदन में अपनी पत्नी के असाध्य ब्लड कैंसर से पीडित होने के कारण एम्स नई दिल्ली में उपचाराधीन होने एवं स्वयं के पदस्थापन स्थान के एम्स से अत्यधिक दूर होने के चलते अपना पदस्थापन राउमावि हडियाल–तारानगर, चुरू,राउमावि रतनपुरा–राजगढ, चुरू, राउमावि जोगलिया–सुजानगढ, चुरू अथवा राउमावि भाडी, भादरा–हनुमानगढ में प्रधानाचार्य के किसी एक रिक्त पद पर किये जाने की परिवेदना की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन पर विचार किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा चाहे गए राउमावि–हडियाल, राउमावि–रतनपुरा, राउमावि–जोगलिया एवं राउमावि भाडी में प्रधानाचार्य का पद रिक्त नहीं है। प्रार्थी की काउन्सलिंग वरिष्ठतानुसार की गई थी जिसमें प्रार्थी के सहमति पत्र द्वारा विकल्प एवं चयन के आधार पर ही उनका पदस्थापन राउमावि–सऊओं की बेरी, बाडमेर में किया गया था जहां प्रार्थी द्वारा दिनांक 18.08.2017 को कार्यग्रहण कर लिया गया। प्रार्थी द्वारा धारित प्रधानाचार्य एवं समकक्ष का पद राज्य शिक्षा सेवा के राजपत्रित अधिकारी के स्तर का है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय जगमोहन बनाम सरकार प्रकरण के अनुसार राज्य सेवा के अधिकारी को राज्य एवं लोकहित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। इसी को मध्यनजर रखते हुए याचिकार्थी **विनोद गोदारा प्रधानाचार्य–राउमावि सऊओं की बेरी, बाडमेर का अभ्यावेदन खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।** सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

कमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/विनोद गोदारा/याचिका–22471/2017 दिनांकः 09.03.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा जोधपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा बाडमेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. संबंधित संस्था प्रधान ।
8. संबंधित कार्मिक/याचिकार्थी को आदेश की पालनार्थ।
9. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)